गोरखनाथ, भा0प्र0से0(2006), आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के द्वारा दिनांक 01.09.2022 को जिला स्थापना प्रशाखा, किशनगंज का किये निरीक्षण का निरीक्षण आलेखः—

1. **आमुख** :—किशनगंज जिला पूर्व में कृष्णकुंज के नाम से जाना जाता था। यह जिला सृजन से पूर्व पूर्णियाँ जिला के एक अनुमंडल के रूप में कार्यरत था। किशनगंज जिला का सृजन दिनांक 14 जनवरी, 1990 को हुआ है। इस जिला में 01 अनुमंडल एवं 07 प्रखंड तथा 07 अंचल है। जिला स्थापना प्रशाखा समाहरणालय भवन के निचले तल्ले में कमरा नं. 06 में कार्यरत है। जिला स्थापना प्रशाखा के माध्यम से अराजपत्रित पदों के लिपिक/आशुलिपिक/जीप चालक/कार्यपालक सहायक इत्यादि के संवर्गों में नियुक्ति/नियोजन, स्थानान्तरण, पदस्थापन, अनुकम्पा नियुक्ति, वरीयता सूची, सेवापुस्त, अनुशासनिक मामलों में विभागीय कार्यवाही, राजपत्रित पदाधिकारी/कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य विपत्रों के बनाने की कार्रवाई होती है। इसके अतिरिक्त यह शाखा चुनाव के समय कार्मिक कोषांग के रूप में कार्य करता है।

2. **पूर्व निरीक्षण** :— जिला सृजन के पश्चात् स्थापना शाखा का पूर्व में जिला पदाधिकारियों के द्वारा किये गए निरीक्षण की विवरणी निम्नवत् है :—

क्र.	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी	अनुपालन की तिथि
1	2	3	4	5
01	श्री नवीन वर्मा, भा.प्र.से. जिला पदाधिकारी, किशनगंज।	04.01.1992	--	--
02	श्री आर.बी.पी.यादव, भा.प्र.से. जिला पदाधिकारी, किशनगंज।	14.08.1996	26.08.1996	03.09.2006
03	श्री दयानन्द प्रसाद, भा.प्र.से. जिला पदाधिकारी, किशनगंज।	12.05.2005	13.05.2005	22.06.2005
04	श्री आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से. जिला पदाधिकारी, किशनगंज।	16.03.2013	25.03.2013	22.08.2022
05	श्री आदित्य प्रकाश, भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी, किशनगंज	18.03.2021	26.03.2021	06.04.2021

पूर्व में जिला स्थापना प्रशाखा का निरीक्षण कई पदाधिकारियों द्वारा किया गया है। निरीक्षण टिप्पणी के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि पूर्व में किये गये निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन सही ढ़ंग से नहीं किया गया है जो कार्यालय कार्य संस्कृति एवं बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली में वर्णित नियमों के प्रतिकूल है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, किशनगंज को निदेश दिया गया कि पूर्व में प्राप्त निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

3. **प्रभार** :— श्री मो0 मंजूर आलम, वरीय उप समाहर्त्ता, किशनगंज के रूप में जिला स्थापना प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी के प्रभार में दिनांक 07.07.2022 से अधिकृत है। श्री राजेन्द्र कुमार दास, प्रधान लिपिक के रूप मे दिनांक 05.07.2022 से कार्यरत है।

जिला स्थापना प्रशाखा, किशनगंज में पदस्थापित कर्मियों का विवरणः—

क्र.	कर्मी का नाम/पदनाम	पदस्थापन की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	श्री राजेन्द्र दास, प्रधान लिपिक	05.07.2022	अतिरिक्त जिला विधि प्रशाखा
2.	श्रीमती मैत्री घोष, उच्चवर्गीय लिपिक	05.07.2022	जिला पारगमन प्रशाखा
3.	श्री अनुप कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक	12.07.2022	पूर्णकालिक जिला विधि अतिरिक्त जिला स्थापना

			प्रशाखा
4.	श्री मनीष रंजन, लिपिक	अगस्त–2018	अतिरिक्त जिला अभिलेखागार
5.	श्री सुमित कुमार बोस, कार्यपालक सहायक	06.07.2022	––
6.	श्री नजरूल हक, कार्यालय परिचारी	31.10.2006	जिला पारगमन प्रशाखा
7.	श्रीमति निशु देवी, कार्यालय परिचारी	अगस्त–2013	––
8.	श्रीमती विचित्रा बैरागी, कार्यालय परिचारी	03.09.2016	जिला पारगमन प्रशाखा

4. **स्थापना** :–

(क) जिला में पदाधिकारियों/कर्मियों का स्वीकृत बल के विरूद्ध कार्यरत बल एवं रिक्ति की स्थिति निम्नवत हैः–

क्र.	पदाधिकारी का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	जिला पदाधिकारी, किशनगंज	01	01	00	
2	जिला लोक षिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज	01	01	00	
3	वरीय उप समाहर्त्ता	04	04	00	

(ख) समाहरणालय में लिपिक एवं अन्य संवर्ग के कर्मियों का स्वीकृत बल के विरूद्ध कार्यरत बल एवं रिक्ति की स्थिति निम्नवत है :–

क्र.	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल	नियमित	संविदा नियोजित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कार्यालय अधीक्षक	02	01	01	00	00	
2	प्रधान लिपिक	21	16	05	14	02	
3	लिपिक	172	65	107	59	06	
4	आशुलिपिक	05	02	03	01	01	
5	जीप चालक	17	02	15	01	01	

वर्ष 2020 तक केवल समाहरणालय लिपिक का रोस्टर क्लियरेंस किया गया है, इन पदों पर नियुक्ति हेतु वर्गवार अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाय। निदेश दिया जाता है कि शेष पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस कर अग्रेतर कारवाई की जाय। चालक के लिए बिहार पर्यटन निगम से नियमों के अनुरूप मॉग की जाय।

(ग) **जिला स्थापना प्रशाखा में स्वीकृत बल** :– जिला स्थापना प्रशाखा, किशनगंज में पदस्थापित सरकारी कर्मियों की स्थिति निम्नवत है :–

क्र.	संवर्ग	स्वीकृत बल	स्थापना प्रषाखा में कार्यरत	अन्य प्रषाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत	कुल कार्यरत	रिक्ति	अभ्युक्ति
1	2	3		4	5	6	7
1	समाहर्त्ता के निजी सहायक	01	00	00	00	01	
2	कार्यालय अधीक्षक (सामान्य)	01	00	00	00	01	
3	प्रधान लिपिक	10	01	01	02	00	
4	लिपिक		01	07	08		
5	आशुलिपिक	03	00	01	01	02	
6	ड्राईवर	02	00	00	00	02	
7	कार्यालय परिचारी	12	02	08	10	02	
	कुल	**29**	**04**	**17**	**21**	**08**	

जिला अन्तर्गत विभिन्न संवंर्गो के स्वीकृत बल के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि जिलें में विभिन्न संवंर्गो में काफी रिक्तियॉ है। इन रिक्तियों के विरूद्ध नियमित कर्मियों की संख्या काफी कम है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि जिला संवंर्ग के जो रिक्त पद है उसका रोस्टर क्लियर कराकर नियमित नियुक्ति हेतु कोटिवार अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से संबंधित आयोग को भेज दी जाय।

(घ) **बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम एवं लोक शिकायत निवारण के अधीन कार्यरत जिला प्रावैद्यिकी प्रबंधक/सूचना प्रावैद्यिकी सहायक/कार्यपालक सहायकों का विवरण निम्नवत् है :–**

वर्णित तीनों पद धारक संविदा पर अस्थायी रूप से नियोजित है, जिसका कार्यकाल योजना की समाप्ति अथवा 60 वर्ष की आयु, जो पहले लागू हो, तक के लिये ही निर्धारित है। स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की संख्या निम्न प्रकार है :–

क्र.	पद का विवरण	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	जिला आई.टी. प्रबंधक	01	01	00	
2	आई.टी. सहायक	10	09	01	
3	कार्यपालक सहायक	39	38	01	

5. **सेवापुस्त** :– बिहार सेवा संहिता के नियम–299 के आलोक में इस प्रशाखा से वेतन प्राप्त कर रहे लिपिक एवं अन्य कर्मी का सेवापुस्त संधारित है।

6. **कर्मपुस्त** :– इस प्रशाखा में कार्यरत लिपिकों का कर्मपुस्त संधारित है।
कर्मपुस्त के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि आगत पंजी से प्राप्त पत्र कर्मपुस्त में चढ़ायें जाते है पर उसका उपस्थापन काफी दिनों के बाद किया जाता है। श्री मनीष रंजन, लिपिक के कर्मपुस्तिका के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि संचिका संख्या–66–17–01/22 में एक पत्र दिनांक 25.01.2022 को प्राप्त हुआ है जिसे काफी विलंब से दिनांक–2.04.2022 को उपस्थापित किया गया है। कुछ अन्य पत्रों के अवलोकन से भी यह स्पष्ट हुआ कि पत्र प्राप्ति के काफी दिनों बाद इसे उपस्थापित किया जाता है। इससे जाहिर होता है कि यहाँ पत्रों को Pick & Choose नीति के तहत निष्पादित किया जाता है। ऐसे मामलों में संबंधित लिपिक श्री मनीष रंजन के विरूद्ध अनुशासनिक कारवाई अपेक्षित है। इस संबंध में इनसे स्पष्टीकरण पूछकर सम्यक कारवाई की जाय।

7. **प्रधान लिपिक का नोटबुक** :–प्रधान सहायक का नोट बुक संधारित है पर उक्त पंजी में शाखा के महत्वपूर्ण मामलों को नोट कर उसका निपटारा सही तरीके से नही किया जा रहा है। **प्रधान लिपिक द्वारा बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1958 के नियम 117 के आलोक में उक्त पंजी में महत्वपूर्ण मामलों तथा लंबित मामलों को नोट कर प्रतिदिन प्रशाखा में समीक्षा कर उसका निपटारा किया जाय। वे विभागीय महत्व के मामलों को इस नोट बुक में दर्ज कर उसका ससमय निपटारा भी कराने के लिए जिम्मेवार होंगे।**

8. **प्राप्त पत्रों की पंजी** :–इस प्रशाखा में प्राप्त पत्रों की पंजी संधारित किया गया है। दिनांक 25.08.2022 तक कुल 273 पत्र प्राप्त हुआ है।
प्राप्त पत्रों की पंजी के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि प्राप्त पत्रों की पंजी के सारे कॉलम सही तरीके से नहीं भरे जा रहे है। प्राप्त पत्रों का निष्पादन किन संचिकाओं में किया गया है यह भी कुछ मामलों में अंकित नहीं है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि प्राप्त पत्रों की पंजी में आये हुए पत्रों को प्रधान लिपिक के माध्यम से लिपिकों के कर्म पुस्तिका में दर्ज करवाई जाय और संबंधित लिपिक समयानुसार संबंधित संचिका में उसे उपस्थापित करेंगे। जो लिपिक इन कार्यो का संपादन करने में चूक करते है या मनमाने ढ़ंग से प्राप्त पत्रों को संचिका में उपस्थापित करते है, उन्हें चिन्हित कर उनके विरूद्ध

अनुशासनिक कारवाई की जाय। प्रधान लिपिक एवं स्थापना उप समाहर्त्ता क्रमशः पाक्षिक एवं मासिक रूप से अपनी शाखाओं के क्रिया कलाप का निरीक्षण किया करेंगे।

9. **निर्गत पत्रों की पंजी** :– इस प्रशाखा में निर्गत पत्रों की पंजी संधारित है। दिनांक 29.08.2022 तक कुल 504 पत्र निर्गत किये गये है।
निर्गत पत्रों की पंजी सही ढ़ंग से संधारित नहीं पाया गया। प्राप्त और निर्गत पत्रों की पंजी को आपस में को–रिलेट किया जाय जिससे सही–सही पत्रों की जानकारी मिल सके। निर्गत पंजी का कुछ अंश आगत पंजी में आना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्राप्त पत्रों के आधार पर अंतिम रूप से क्या कारवाई की गई है।

10. **विधान सभा/लोक सभा प्रश्न** :–इसके लिए पंजी संधारित है। इस प्रशाखा में विधान सभा/लोकसभा से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं पाया गया।

11. **वेतन भुगतान** :–जिला के स्वीकृत बल के विरूद्ध विभिन्न शीर्षो में वर्त्तमान वर्ष 2022–23 का बजट प्राक्कलन सरकार को भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सभी शीर्षो का विभाग से प्राप्त आवंटन का CFMS के माध्यम से उपावंटन संबंधित कार्यालय को किया गया है। सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों का माह जुलाई–2022 तक वेतनादि का भुगतान किया जा चुका है।

12. **वेतन भरपाई पंजी** :– वेतन भरपाई पंजी की जाँच की गयी, CFMS में वेतन का कार्य होने के कारण वेतन भरपाई पंजी अद्यतन् नहीं है।

13. **अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र पंजी** :– इस प्रशाखा में अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र पंजी संधारित है। CFMS से ही अंतिम वेतन प्रमाण पत्र निर्गत होने के कारण पंजी अद्यतन् नहीं है।

14. **कार्य तालिका** :– संबंधित लिपिक का नाम, पदनाम का प्लेट टेबूल में तथा सभी लिपिकों के बीच आवंटित कार्य की कार्य तालिका संधारित है, जो संबंधित लिपिकों के पीछे प्रदर्शत हेतु लटकाया हुआ है।

15. **लंबित पत्रों की सूची** :–प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की लंबित सूची अद्यतन है।

16. **अनुक्रमण पंजी** :–इस प्रशाखा में बिहार अभिलेख हस्तक–1960 के नियम 08 के अनुसार विहित प्रपत्र में अनुक्रमण पंजी संधारित है, जिसमें संचिका संख्या एवं संग्रहण संख्या वर्षवार संकलित की जाती है। अनुक्रमण पंजी के कुछ पन्ने फटे हुये है।

17. **लोक सूचना अधिकार अधिनियम, 2005** :–इस अधिनियम के तहत भी पंजी संधारित है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आवेदन प्राप्त होने के एक माह के अंदर ही आवेदक को सूचना दिया जाना है। सूचना आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदक को सूचना दी जाती है एवं दिये गये सूचना की प्रविष्टि पंजी में अंकित किया जाता है। वर्त्तमान में लोक सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् एक भी मामला लंबित नहीं है।

18. **कार्यालय आदेश पंजी** :–बिहार अभिलेख हस्तक नियम 99 के आलोक में महत्वपूर्ण विषयों पर त्वरित कार्रवाई हेतु यह पंजी कार्यालय के सभी कर्मचारियों को आदेश पालन हेतु संधारित है।

19. **लेखन सामग्री/भंडार पंजी** :–बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली–1958 के नियम–124 के आलोक में जिला नजारत से प्राप्त होने वाले सामग्रियों को इस पंजी में प्रविष्ट किया जाता है।

20. **उपस्थिति पंजी** :–यह पंजी संधारित है, जिसमें इस प्रशाखा के कार्यरत कर्मियों द्वारा प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति बनायी जाती है। पंचांग वर्ष 2022 में संधारित पंजी की जाँच स्थापना उप समाहर्त्ता/कार्यालय अधीक्षक एवं प्रधान लिपिक द्वारा समय–समय पर किया जाता है।

21. **आकस्मिक अवकाश पंजी** :–बिहार अभिलेख हस्तक 1960 के नियम 46 के आलोक में पदस्थापित कर्मियों के लिये आकस्मिक अवकाश के लिये पंजी संधारित है। उक्त पंजी में कार्यरत कर्मियों द्वारा उपयोग किय गये आकस्मिक अवकाश का संधारण किया जाता है।

22. **परिपत्रों की रक्षी संचिका** :–इस प्रशाखा में प्राप्त होने वोले विभागीय महत्वपूर्ण अनुदेश/परिपत्र तथा जिला स्तर से निर्गत होने वाले महत्वपूर्ण अनुदेश तथा निरीक्षण टिप्पणी आदि को भविष्य के लिये सुरक्षित रखने के निमित्त विभागवार रक्षी संचिका संधारण किया गया है।

23. **जन शिकायत** :–इस प्रशाखा में जन शिकायत से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है।

24. **अंकेक्षण** :–इस प्रशाखा में अंकेक्षण का कोई मामला लंबित नहीं है।

25. **सेवांत लाभ** :– समाहरणालय अन्तर्गत जिला स्थापना प्रशाखा, किशनगंज में लंबित सेवान्त लाभ की विवरणी निम्नवत् है :–

क्र.	कार्यालय का नाम	सेवा निवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृति /मृत्यु की तिथि	सेवा निवृत्त कर्मियों का नाम/ पदनाम	पेंशन /उपादान भुगतान की स्थिति		अनिवार्य ग्रुप बीमा की स्थिति	अव्यवहृत अर्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान	जी.पी.एफ./सी. पी.एफ. के अंतिम भुगतान की स्थिति	अभ्युक्ति
				पेंशन	उपादान				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जिला स्थापना प्रशाखा, किशनगंज	30.04.2022	श्रीमती शिवानी साहा, कार्यालय परिचारी	लंबित	लंबित	लंबित	लंबित	लंबित	

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि जिला स्थापना प्रशाखा, किशनगंज में स्वैच्छिक सेवानिवृति से संबंधित मात्र एक मामला में सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। जिला पदाधिकारी, किशनगंज को सेवांत लाभ के मामले में सरकार के द्वारा दिये गये निदेशों के अनुरूप निस्तार करने का निदेश दिया गया । अगर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा ऐसे मामलें में त्वरित कारवाई नहीं की जा रही है तो उनके विरूद्ध अनुशासनिक कारवाई की जाय।

26. विभागीय कार्यवाही से संबंधित मामले का विवरण :–

क्र.	आरोपित कर्मी का नाम एवं पदनाम	कार्यालय आदेश संख्या	संचालन पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	विभागी कार्यवाही का अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	8
1.	श्री इरतजा आलम, उ.व. लिपिक	ज्ञापांक 428/जि.स्था., दिनांक 06.09.2014	श्री रामाशंकर, वरीय उप समाहर्त्ता, किशनगंज	अंतिम निर्णय हेतु संचिका उपस्थापित।	
2.	श्री सुमन्त कुमार दास, लिपिक	ज्ञापांक 426/जि.स्था., दिनांक 06.09.2014	श्री रामाशंकर,, वरीय उप समाहर्त्ता, किशनगंज	अंतिम निर्णय हेतु संचिका उपस्थापित।	

विभागीय कार्यवाही की पंजी का रजिस्टर देखा गया उसमें ऐसे मामलें पाये गये जो वस्तुतः निष्पादित दिखाया गया है परंतु संचिका के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि निष्पादन की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है जो न्यायोचित नहीं है। इसे शीध्रतापूर्वक निष्पादित किया जाय। जिला पदाधिकारी, किशनगंज को निदेश दिया गया कि दोनों मामलों को एक पक्ष के अंदर निश्चित रूप से निष्पादित किया जाय।

27. **सेवा सम्पुष्टि/प्रोन्नति** :– जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक हेतु पंजी संधारित है। वर्ष 2022 में जिला स्क्रीनिंग समिति के द्वारा दिनांक 30.08.2022 को हुई बैठक में विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त कुल 06 कर्मियों में से कुल 04(चार) कर्मियों को एम.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। वर्त्तमान में सेवा सम्पुष्ट का कोई मामला लंबित नहीं है।

28. **अनुकम्पा** :– जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति बैठक हेतु पंजी संधारित है। वर्ष 2022 में जिला अनुकम्पा समिति की अंतिम बैठक दिनांक 16.07.2022 को हुई, जिसमें कुल 02(दो) मामलों पर विचार किया गया है, जिसमें से एक मामलें में अनुशंसा कर संबंधित विभाग को कार्यवाही की प्रति प्रेषित की गई है तथा एक मामलें में अनियोजन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण उसे अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 30.08.2022 को आहुत जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति की बैठक में उक्त मामलों में निर्णय लेते हुये नियुक्ति पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है।

इस संबंध में निदेश दिया गया कि एक लिस्ट बना ली जाय कि जिला स्थित अधीनस्थ कार्यालयों में कुल कितने कर्मी मृत हुए है तथा उनका अनुकम्पा किस कारण से लंबित है। उनके द्वारा प्रस्ताव/आवेदन दिया गया है या नहीं। ज्यादातर अनुकम्पा के मामलें शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में पाये जाते हैं। मासिक रूप से बैठक कर इसकी सूची मंगवा ली जाय। तदनुसार अग्रेतर कारवाई की जाय। मासिक रूप से जिला स्तर पर भी इसकी लगातार समीक्षा की जाय।

29. **न्यायालय** :–इस प्रशाखा में न्यायालय वादों से संबंधित कोई मामला प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु लंबित नहीं है।

30. **सरकारी सेवकों की वरीयता सूची** :–लिपिक संवर्ग की वरीयता सूची वर्श 2016 में प्रकाषित की गई है। पुनः वरीयता सूची के प्रकाषन की कार्रवाई की जा रही है। आशुलिपिक/जनसेवक एवं चालक संवर्ग की वरीयता सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है। वर्त्तमान में कार्यरत कर्मियों का वरीयता सूची तैयार की जा रही है।

31. **सरकारी सेवकों का सेवा इतिहास** :– लिपिक संवर्ग के कर्मियों का सेवा इतिहास से संबंधित पंजी तैयार है, जो अद्यतन नहीं है। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच.आर.एम.एस.) अन्तर्गत सभी कर्मियों का सेवापुस्त 30.09.2019 तक का स्कैनिंग कर अपलोड किया जा चुका है।

32. **अन्यान्य** :–समाहरणालय, किशनगंज एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक के माध्यम से दिनांक 29.08.2022 से पुनः प्रारंभ की गई है। स्थापना प्रशाखा में पुरानी संचिकाओं को लाल सालुक में बाँध कर रखा गया है। कार्यालय में डस्टबीन उपलब्ध है तथा कार्यालय की साफ–सफाई सामान्य है।

33. **निष्कर्ष– 1. जिला स्थापना शाखा के मूल कार्यों को अन्य शाखाओं में प्रत्यायोजित किये जाने के कारण यह शाखा काफी छोटा हो गया है। पंचायत सेवक को छोड़कर शेष सारे कर्मियों की स्थापना को इसी शाखा में समाहित कर एक जगह इसे सशक्त शाखा के रूप में अन्य जिलों की भांति रखी जाय। जिले के सभी प्रशाखाओं में कार्यरत कर्मियों एवं जिला में समाहर्त्ता के अधीन कार्यरत अपर समाहर्त्ता एवं वरीय उप समाहर्त्ता के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्थापना उप समाहर्त्ता को ही बनाया जाय।**

2. इस शाखा द्वारा पूरे जिले के सेवांत लाभ, रोस्टर, रिक्ति, विभागीय कार्रवाई, वरीयता, प्रोन्नति, अनुकंपा समिति आदि मामले को समीक्षित एवं नियंत्रित किया जाय। कार्यालय अधीक्षक अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे तथा प्रधान लिपिकों की मासिक बैठक आयोजित कर जिले के महत्वपूर्ण मामलों को समीक्षित, निर्णीत एवं संचालित करेंगे जिसमें स्थापना शाखा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

3. कार्यालय अधीक्षक के द्वारा किसी भी कार्यालयों का निरीक्षण अपने कार्यकाल में नहीं किया गया है जिसके लिए उनसे स्पष्टीकरण पूछ कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।

4. विभागीय कार्यवाही से संबंधित दो गंभीर मामले वर्ष 2014 से अनिर्णीत की स्थिति में स्थापना शाखा में रखी हुई है जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसे एक पक्ष के अंदर अंतिम रूप से निर्णीत कर दंडादेश निर्गत किया जाय।

5. जिला अंतर्गत स्वीकृत बलों के मुख्य स्रोत यथा स्वीकृत्यादेश को खोजकर स्वीकृत पदों का मिलान कर लिया जाय तथा सभी पदो के रिक्त पदों का रोस्टर क्लीयरेंस करा कर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाय। यह कार्य एक माह के समय सीमा के अंतर्गत संपादित की जाय।

6. आगत निर्गत पंजी, कर्मपुस्तिका तथा संचिकाओं के संधारण आदि को देखने से यह ज्ञात हुआ कि आगत पत्र संचिका में बीस–पच्चीस दिनों के बाद उपस्थापित किये जाते हैं जो न्यायोचित नहीं है।

7. लिपिकों की नियुक्ति हेतु 23 अभ्यर्थियों की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त है। सारी औपचारिकतायें को पूरी कर यथाशीध्र नियमानुसार इन्हें नियुक्त की जाय तथा जिला स्थापना शाखा में कार्यबल को बढ़ाया जाय।

8.चालकों की कमी को पूरा करने हेतु बिहार पर्यटन विकास निगम को राज्य सरकार द्वारा नोडल एजेंसी बनाई गई है जो आउटसोर्स के आधार पर चालकों की आपूर्ति करते हैं। राज्य सरकार के सभी विभागों में चालकों की आपूर्ति इनके माध्यम से ही होती है। उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

9. अनुकम्पा से संबंधित अधिकतर मामले शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य विभाग के कार्यालयों एवं अन्य कार्यालयों में लंबित रहते हैं। समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/जिला स्थापना उप समाहर्त्ता जिला स्तर पर सभी विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से इसका प्रतिवेदन प्राप्त कर मासिक रूप से इसकी समीक्षा करेंगे ताकि अनुकंपा समिति की बैठकों में इसे अंतिम रूप से निर्णीत किया जायगा।

10. जिला संवर्ग के सभी कर्मियों की वरीयता सूची वर्ष 2022 में सारी प्रकियाओं को पूरा कर तैयार किया जाय तथा **A.C.P/M.A.C.P** के तहत देय प्रोन्नतियॉ तीन माह के अंदर बैठक कर नियमानुसार दे दी जाय।

11. सेवांत लाभ के एक मामले जिला स्थापना शाखा में लंबित है। पूरे जिले के सेवांत लाभ के मामलों की समीक्षा करने का दायित्व जिला स्थापना शाखा का ही होता है। मासिक बैठक में जिला स्थापना उप समाहर्त्ता अधीनस्थ कार्यालयों यथा अनुमंडल/प्रखंड/अंचल/अन्य प्रशाखाओं के डी0डी0ओ0/प्रधान लिपिक से ऑकड़ा लेकर

इसे यथाशीघ्र निष्पादित करायेंगे तथा ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे कि सेवानिवृत के तिथि के ही दिन उन्हें सारे सेवांत लाभ प्रदान कर दी जाय।

(अनुपालनः–जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता/स्थापना उप समाहर्त्ता, किशनगंज)

5/9/22
आयुक्त,
पुर्णियॉ प्रमंडल, पूणियॉ।

ज्ञापांक–206/ दिनांक–05/09/2022

प्रतिलिपि :– स्थापना उप समाहर्त्ता, किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

5/9/22
आयुक्त,
पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ ।

ज्ञापांक–206/ दिनांक–05/09/2022

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, पूर्णियॉ/अररिया/कटिहार को सूचनार्थ एवं समरूप मामलों में समरूप कारवाई करने हेतु प्रेषित।

5/9/22
आयुक्त,
पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ ।

ज्ञापांक–206/ दिनांक–05/09/2022

प्रतिलिपि :– 1. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ पेषित।
2. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5/9/22
आयुक्त,
पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ ।

O/C